मंडल की 31 मे 2019 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	21	मंडल की 3 मई, 2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की 3.5.2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	22	नौवहन महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सरकारी आवास का आबंटन - संबंधी.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 (i) का वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	कल्याण
3.	23	लॉट सं. ए एल/00252 हेतु मुकदमा प्रस्ताव.	(i) टिप्पणी के परिच्छेद 5 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. (ii) यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में 5 लाख रूपये के उपर के मुकदमों, अपिलों, रिट याचिकाओं आदि को दायर किया जायेगा तथा 10 लाख रुपये तथा अधिक मूल्य के मुकदमों, अपिलों, रिट याचिकाओं को दायर करने / प्रतिवाद करने हेतु मंडल की कार्योत्तर मंजूरी लेना जरूरी नही होगा तथा पटल कागजात (टेबल पेपर) के जरिए मंडल को सूचित किया जायेगा.	यातायात
4.	24	बरसात के मौसम में आराम नौकाओं का भंडारण.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित है. तथापि, हाल ही के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार लागू दरें ₹976 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह होगी. जलयानों को मॅलेट बंदर तथा हे बंदर के अलावा डीसीटी के दक्षिण की ओर उनके प्रचालनों मे बाधा डाले बिना वार्फो/हाड्र्स पर भंडारित किया जाए.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
5.	25	निविदा सं एस-50/2016 - वर्ष 2016-2017 के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए सामान्य कार्य - उत्तर तथा दक्षिण प्रभागों के अधिकार क्षेत्र में टैंकर लॉरियों द्वारा कुएँ के पानी की आपूर्ति तथा पीने के पानी का परिवहन. - टाईम पार्ट I, II, III, IV, V का अतिरिक्त निष्पादन तथा विस्तार.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जाती है.	स्थापत्य
6.	26	परियोजना हेतु पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाने के साथ एमपीसीबी/सीआरझेड तथा पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति - (i) अंतर्देशीय क्रूज टर्मिनल का विकास. (ii) नयी गोदी सीमांत दीवार का निर्माण तथा निकासी योजना.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
7.	27	लघु अवधि संविदा - टॅग ऑफशोअर लि. की जोखिम व लागत पर छह माह की अवधि के लिए दो टग्ज को (प्रत्येकी 50 टन बोलार्ड पूल क्षमता) किराये पर लेना.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 केउप संरक्षक के प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जाती है.	समुद्री
8.	28	25 मार्च 2019 को आयोजित मंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट.	25.3.2019 को आयोजित मंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट अनुमोदित, पुनर्विलोकित तथा रिकार्ड पर ली गयी है.	सामान्य प्रशासन
9.	29	हार्बर क्रुज के प्रचालन हेतु लाइसेंसों को जारी करना. (निविदा सं. डीसी-03/2018).	आस्थगित	समुद्री
10.	30	सेंट्रल वेअरहाऊस - वडाला को सुपुर्द करना कोड सं. 10101148. वडाला इस्टेट स्थित आर. आर. सं./प्लॉट सं. प्लॉट सं. 25 का पट्टा.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य अभियंता तथा विभाग प्रमुख (संपदा) का प्रस्ताव, चर्चा की टिप्पणी में अभिलेखित किये नुसार निरीक्षणों के अनुपालन के साथ अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
11.	31	दिनांक 24.7.2013 को रिम बास्क्युल पुल को "एम. व्ही. नंद हीरा" द्वारा पहुँचायी गयी क्षति.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 में विस एवं मुलेअ द्वारा पूर्वाकलन किये नुसार ₹1,00,92,647 के कारोबार के नुकसान को अनुमोदित किया जाता है.	वित्त
12.	32	दिनांक 23.3.2012 के सूक्ष्म तथा लघु उद्यम (एमएसईज) आदेश, 2012 के लिए लोक प्रापण नीति तथा दिनांक 9.11.2018 के सूक्ष्म तथा लघु उद्यम (एमएसईज) संशोधन आदेश, 2018 के लिए लोक प्रापण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का सामग्री प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सामग्री
13.	33	इमारतों को जीर्ण-शीर्ण, खतरनाक तथा असुरक्षित इमारत घोषित करने की नीति तथा उसपर कार्रवाई.	निर्णय लिया गया कि - (i) टिप्पणी के परिच्छेद 6 में दी गयी नीति में किसी आशोधनों को न करते हुए उसे अनुमोदित करने तथा उसे कार्यान्वित करने का अधिकार अध्यक्षजी को देने. (ii) यदि आवश्यक हो, तो उचित कार्यान्वयन हेतु, मण्डल को सूचना देते हुए, नीति में बदलाव करने का अधिकार अध्यक्षजी को देने. (iii) इमारतों को जीर्ण-शीर्ण, खतरनाक, असुरक्षित घोषित करने तथा उस पर कार्रवाई करके मण्डल को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार मुख्य अभियंता को देने.	स्थापत्य
14.	34	सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा अनुमोदित मूल्यांककों की पैनेल सूची बनाना.	अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) टिप्पणी के परिच्छेद 10 के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को; (ii) मुंपोट्र के लिए मूल्यांककों को भविष्य में जैसे भी तथा जब भी उनको सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा पैनल में सूचीबध्द किया जायेगा तब अपने पैनल में सूचीबध्द करने का अधिकार यातायात प्रबंधक को देने के लिए.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
15.	35	वार्षिक लेखा 2018-19.- 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का वार्षिक लेखा.	वार्षिक लेखा 2018 -19, तथा उसे लेखा परीक्षा हेतु वाणिज्यिक लेखा परिक्षा महानिदेशक तथा पदेन सदस्य, लेखा परिक्षा, बोर्ड-I, मुंबई को तथा कर लेखा परीक्षा हेतु के सी. जैन ॲण्ड कं., सनदी लेखाकार को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	वित्त
16.	36	के. औ. सु. ब. कर्मियों के परिवहन हेतु वाहनों को किराये पर लेने के लिए निविदा का विस्तार - निविदा सं. जीएडी 01/2014.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 के प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जाती है.	सामान्य प्रशासन
17	37	अचल संपत्ति का कब्जा तथा देयों की वसूली हेतु प्रेसिडंन्सी स्मॉल कॉजेस कोर्ट ॲक्ट, 1882 के तहत लघु वाद न्यायालय में मामलों पर कार्रवाई करने के लिए लॉ फर्मों / अधिवक्ताओं की पैनल सूची बनाना.	उपरोक्त निरीक्षणों के साथ टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी) के प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जाती है.	विधि
18.	38	ऑनलाईन निविदा सं. सीएमओ 14/2018-19 के तहत पीपीपी आधार पर 600 शय्याओं के सुपर-स्पेशालिटी अस्पताल की एक चिकित्सा महाविद्यालय को विकसित करके आगे अस्पताल के विस्तार के विकल्प के साथ स्थापना.	(i) टिप्पणी के परिच्छेद 8 (i) के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जाती है; (ii) सहभागी बोलीकर्ता के अस्पताल को 7.6.2019 के पहले न्यासी भेट देंगे तथा, (iii) बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढाने के बारेमें निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्षजी को है.	चिकित्सा
19.	39	लाईफस्टार कार्डीयाक ॲम्ब्युलंस सर्व्हिस को क्रेडिट आधारपर 1.6.2019 से प्रभावी आगे छह माह की अवधि के लिए या पीपीपी आधार पर 600 शय्याओं के सुपर स्पेशालिटी अस्पताल की स्थापना हेतु सफल बोलिकर्ता को अस्पताल सुपुर्द करने तक, जो भी पहले हो, रोगियों को प्राण संकट की स्थितियों में मुंपोट्र अस्पताल से पॅनल में सूचीबध्द अस्पतालों तक स्थानांतरित करने के लिए संविदा का विस्तार.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
20.	40	मुंपोट्र कार्यशालाएँ तथा क्लार्क बेसिन क्षेत्र का दीर्घावधि पट्टे पर माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य यांत्रिक अभियंता के प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जाती है.	यांत्रिकी
21	41	निविदा सं. इ. 132/2018- प्रिंसेस गोदी (मुंबई पोर्ट) स्थित रो-पॅक्स यात्री टर्मिनल तथा रेस्तराँ का अनुरुपांतरण, प्रचालन तथा अनुरक्षण- उच्चतम बोलीकर्ता को स्वीकृति.	टिप्पणी के परिच्छेद 15 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
22	42	पीपीपी (सरकारी निजी सहभागिता) के आधार पर पर्यटक गंतव्य स्थल के रुप में कान्होजी आंग्रे द्वीप का प्रबंधन, प्रचालन तथा अनुरक्षण - स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) टिप्पणी, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) तथा प्रारुप रियायत करार (डीसीए) को अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
23	43	गोवंडी स्थित मुंपोट्र की भूमि के मूल्यांकन रिपोर्ट के बारे में भूमि आबंटन समिति की रिपोर्ट.	अनुमोदन प्रदान किया जाता है - (i) टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य अभियंता तथा विभाग प्रमुख (संपदा) के प्रस्ताव को. (ii) परिसर बृहन्मुंबई मनपा के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण लागू एफएसआई तथा संबंधित मामलों के विषय में रुचि रखनेवाले सरकारी संगठनों के साथ समझौते की बातचित करने के संबंध में अध्यक्षजी को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने को.	स्थापत्य
24	44	भूमि आबंटन समिति द्वारा सिफारिश किये गये टिटवाला स्थित मुंपोट्र भूमि के दर को अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य अभियंता तथा विभाग प्रमुख (संपदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
25	45	निविदा सं. ई-04/2019 - पूर्व किनारा विकास परियोजनाओं के लिए 15 व्हीडी के समीप पार्किंग स्थल में पे ॲण्ड पार्क का प्रचालन तथा प्रबंधन- उच्चतम प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
26	46	माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लि. के समाप्त हुए पट्टों के बारे में भूमि आबंटन समिति द्वारा विचार किये गये दर को अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का मुख्य अभियंता तथा विभागप्रमुख (संपदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है..	सम्पदा
27	47	शिवडी स्थित पारिस्थितिक तथा सांस्कृतिक उद्यान का विकास - प्राक्कलन को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
28	48	दिनांक 1.4.2019 से आगे न्यासियों की इंदिरा गोदीयों की घाट संख्या 1 से 4, 9 से 24, बीपीएस तथा बीपीएक्स में जहाजों पर विशेषीकृत कार्य (जॉब्ज) करने के लिए अनुज्ञप्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
29	49	(1) विविध अवधि पर रक्षा प्राधिकरणों द्वारा कब्जा की गयी मुंपोट्र की भूमि से संबंधित मामले (ए) रक्षा मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच दिनांक 11.12.2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के संबंधी मुंपोट्र के किरायों का बकाया. (बी) नौसेना तथा वायु सेना के कब्जे में होनेवाली मुंपोट्र की भूमि का अभ्यर्पण (सी) वडाला स्थित मुंपोट्र की भूमि का नौसेना को आबंटन. (2) मूल्यांकक श्री. अविनाश पेंडसे द्वारा प्रस्तुत एमएसआर इस्टेट, मुंबई - 400010 स्थित लीज होल्ड प्लॉट एस्सो (इस्टर्न) के उत्तर की ओर के मुंपोट्र प्लॉट, कोड संख्या 20501118 के दिनांक 28.5.2019 की भूमि आबंटन समिति की रिपोर्ट को अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 का मुख्य अभियंता तथा विभाग प्रमुख (संपदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
30	50	पोर्ट उद्यम व्यवसाय प्रणाली का क्रियान्वयन - भारत के 5 बडे पत्तनो के लिए इआरपी क्रियान्वयन.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 का संयुक्त निदेशक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	योजना और अनुसंधान

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
31	51	निविदा सं. ई-78/2015 - इंदिरा गोदी, मुंबई स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रुज टर्मिनल के उन्नयन/आधुनिकिकरण का परामर्शी - (i) कार्य की व्याप्ति में परिवर्तन तथा परामर्शी शुल्क में वृध्दि, (ii) आइआइटी, मद्रास को संरचनात्मक अभिकल्प आरेखण सौंपना.	अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) टिप्पणी के परिच्छेद 9 (डी) के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को; (ii) क्रियान्वयन भाग हेतु पीएमआईसी के रुप में आइआइटी (बॉम्बे) को उनकी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए संपर्क करने को; (iii) वर्तमान पीएमसी संविदा का पुनर्विलोकन/परीक्षण करने तथा मण्डल के समक्ष उचित प्रस्ताव रखने को.	स्थापत्य
32	52	सीटीएस संख्या 419, सर्व्हे संख्या. 478, गवाणपाडा, पिरपाव, माहुल गांव, चेम्बुर, मुंबई - 400074 के लिए आरक्षित कीमत/दर मानों के आबंटन तथा नियतन हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता तथा विभाग प्रमुख (संपदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
33	53	निविदा सं. सीई. एमआइसीटी/ओ ॲण्ड एम/2019- इंदिरा गोदी स्थित मुंबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रुझ टर्मिनल (एमआइसीटी) का पीपीपी आधारपर प्रचालन तथा अनुरक्षण करने के लिए प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रचालक का चयन करने हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी). - संशोधित स्थायी वित्त समिति का ज्ञापन तथा प्रारुप रियायत करार .	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

C6/Pro 31 May 2019/actiontaken20190531